लाकडाउन के उल्लंघन पर विजय कांप्लेक्स के एक दुकानदार से वसूला गया 20000 रुपए का जुर्माना, दुकान खोलकर सीधे ग्राहक को दे रहा था सामान

भिलाई नगर। लाॅकडाउन के उल्लंघन पर आज निगम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मदर टेरेसा नगर की जोन आयुक्त प्रीति सिंह की अगुवाई में आज लिंक रोड , विजय काम्प्लेक्स, मटन मार्केट, सर्कुलर मार्केट एवं जवाहर मार्केट में घूम-घूम कर निरीक्षण करते हुये नियमों की अवहेलना करने वालों पर अर्थदण्ड वसूलने की कार्रवाई की गई। आकाशगंगा सब्जी मंडी के बाद भिलाई शहर का एक बड़ा मार्केट क्षेत्र मदर टेरेसा नगर जोन के अंतर्गत आता है। पाॅवर हाउस के 2 किमी के दायरे में फल एवं अनाज का बड़ा मार्केट स्थापित है जहां अधिकतर लोग होलसेल का व्यवसाय करते है। इन क्षेत्रों के दुकानों पर लगातार मोबाइल टीम द्वारा नजर रखी जा रही थी। परन्तु आज जब टीम अंदरूनी इलाके में पहुंची तो एक फल व्यवसायी प्रातः 8 बजे अपनी दुकान खोलकर सीधे ग्राहकों को फल का विक्रय कर रहा था। मोबाइल टीम ने दुकान को बंद कराते हुये दुकान संचालक दिलीप कुमार से 20000 रूपये अर्थदण्ड वसूल किये। जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सामग्री की लोडिंग/अनलोडिंग के लिये रात्रि 11 बजे से प्रातः 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। जिसका पालन करने सभी दुकानदारों को चेतावनी दी जा रही है। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी ने लाॅकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिये है। इसके परिपालन में कड़ाई से कार्रवाई की जा रही है! वहीं बेवजह बाहर निकलने वालों से कड़ी पूछताछ करते हुये उनसे जुर्माना लिया जा रहा है। मोबाइल टीम आज जब मटन मार्केट के निरीक्षण में पहुंची तो एक विक्रेता ऑटो से डायरेक्ट ग्राहको को मछली दे रहा था उनसे भी जुर्माना लिया गया। लाॅकडाउन के उल्लंघन पर अन्य विनोद साव से 1000 रूपये, विजय निषाद से 500 रुपए, रमेश कुमार से 2000 रूपये, नरेश साव से 200 रूपये, राकेश से 200 रूपये, विक्रम से 200 रूपये, मो. राजा से 500 रूपये, अमित सिंग से 3000 रूपये, सुरेश से 200 रूपये, सुधा से 100 रुपए, विजय से 100 रुपए, सोहन से 100 रूपये, विनोद से 1000 रूपये जुर्माना लिया गया। इस प्रकार कुल 14 लोगों से 29100 रूपये अर्थदण्ड वसूल किया गया। आज की कार्रवाई में छावनी थाना के टीआई गोपाल वैश्य, विकास सिंह, जसपाल सिंह, धर्मेन्द्र, रामनारायण यदु निगम से मोबाइल टीम के दल प्रभारी प्रकाश अग्रवाल एवं सहा राजस्व अधिकारी संजय वर्मा उपस्थित रहे।